

दिनांक 14.10.2024 को मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज/उपाध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 14.10.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-महाराजगंज, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के प्रोजेक्ट क्वार्टिनेटर, समस्त ISA आदि उपस्थित रहे। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

JMC-LCESPL (JV) (Phase-2)								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tobe well	349	19.09.2024	334	331	319	285	14 3 12 34
			14.10.2024	336	333	322	301	13 3 11 21
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
2	OHT	343	19.09.2024	44	35	67	70	23
			14.10.2024	59	45	66	74	25
				0-50%			50-100%	
3	Pump House	349	19.09.2024		80		185	84
			14.10.2024		83		202	64
						3049		228
4	Pipe Line (Kms.)	3277	19.09.2024			3068		209
			14.10.2024					10384
						170539		10095
5	FHTC	181123	19.09.2024			171028		
			14.10.2024					
				Complete	WIP		Not Started	
6	Solar	233	19.09.2024	148		20	65	
			14.10.2024	152		18	63	
				Complete			Balance	
7	DG	233	19.09.2024		52		181	
			14.10.2024		59		174	
						56		390
8	Regular Water Supply	446	19.09.2024			82		354
			14.10.2024					
				Complete	WIP		Not Started	
9	Boundary wall	348	19.09.2024	210		37	101	
			14.10.2024	225		40	84	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
JMC-LCESPL (JV)	-	3	11	21	74	-	-	-	-	64	83	100% till month december-24	2500	-	-	30	-

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 10 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 3 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में फर्म व अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण उपरान्त सभी पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। फर्म को नलकूप की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये गये कि 30 अक्टूबर 2024 तक समस्त 334 नलकूपों के निर्माण, कम्प्रेसर, ओ0पी0 यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाये। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि अनारम्भ 74 नग शिरोपरि जलाशय जी0आई0 स्टेजिंग युक्त है,

जिनके फेब्रिकेशन का कार्य कार्यशाला में प्रगति पर है। माह अक्टूबर 2024 के अन्तिम सप्ताह तक 20 नग फेब्रिकेटेड शिरोपरि जलाशयों की आपूर्ति कार्यस्थल पर हो जायेगी व प्रति सप्ताह 8 नग फेब्रिकेटेड शिरोपरि जलाशयों की आपूर्ति निरन्तर कार्य समाप्ति तक होती रहेगी। कार्य अनारम्भ 64 नग पम्प हाउस भी मासान्त तक प्रारम्भ हो जायेगी व अवशेष वितरण प्रणाली को भी माह-दिसम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। उक्त के क्रम में निर्देश दिये गये कि यदि फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो नियमानुसार जुर्माना अध्यारोपित किया जाये।

फर्म के द्वारा की जा रही नियमित जलापूर्ति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 82 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है व दिनांक 19.09.2024 को दिये गये निर्देशों के अनुरूप लक्षित पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। जिसके क्रम में निर्देश दिये गये कि माह-दिसम्बर 2024 तक समस्त योजनाओं पर गृह संयोजन (FHTC) में जी0आई0 पाइप लगाते हुये क्लोरीन युक्त नियमित जलापूर्ति की जाये व अवशेष गृह संयोजन (FHTC) में से 2500 नग अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करा लिया जाये। बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये व अगली बैठक से पूर्व 60 प्रतिशत ग्रामों में 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कर लिया जाये, इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये। अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी पेयजल योजनाओं में विद्युतीकरण का कार्य लक्षित समय में पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथ्विक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Koya								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	210	19.09.2024	204	190	190	102	614088
			14.10.2024	204	198	198	113	66085
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
2	OHT	205	19.09.2024	25	24	97	34	7
			14.10.2024	22	27	74	50	14
				0-50%			50-100%	
3	Pump House	210	19.09.2024		49		98	65
			14.10.2024		50		112	48
						1830		264
4	Pipe Line (Km.)	2104	19.09.2024			1835		269
			14.10.2024			74510		18506
						75700		15316
5	FHTC	91016	19.09.2024	Complete	WIP		Not Started	-
			14.10.2024	85	41		65	
				95	41		55	
6	Solar	191	19.09.2024		Complete		Balance	-
			14.10.2024		2		189	-
					4		187	-
7	DG	191	19.09.2024			65		280
			14.10.2024			70		275
				Complete	WIP		Not Started	
8	Regular Water Supply	345	19.09.2024					
			14.10.2024					
				Complete	WIP		Not Started	
9	Boundary wall	210	19.09.2024					
			14.10.2024					
				47	60		103	
9	Boundary wall	210	19.09.2024					
			14.10.2024					
				59	48		103	

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-50%	50-100%						
Rithwik-Koya (JV) - Koya	-	6	2	-	-	-	-	-	5	-	50	100% till month december-24	2500	-	-	40	20

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 10 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 8 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में

विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में फर्म व अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण उपरान्त सभी पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। फर्म को निर्देश दिये गये कि भूमि विवाद निस्तारित होते ही उक्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये। ड्रिलिंग पूर्ण 204 नलकूपों के कम्प्रेसर, ओपीओ यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाये। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 18 नग शिरोपरि जलाशय भूमि विवाद व जल भराव के कारण अनारम्भ है, जिन्हे समस्या के निराकरण के उपरान्त तत्काल प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अनारम्भ 48 नग पम्प हाउस में से 22 नग परिसर में जलमराब व 10 नग परिसर भूमि विवाद होने के कारण अनारम्भ है। शेष पम्प हाउस को माह-नवम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ कर दिया जायेगा व अवशेष वितरण प्रणाली को भी माह-दिसम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। उक्त के क्रम में निर्देश दिये गये कि यदि फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो नियमानुसार जुर्माना अध्यारोपित किया जाये।

फर्म के द्वारा की जा रही नियमित जलापूर्ति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 70 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है व अगली बैठक से पूर्व 40 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। जिसके क्रम में निर्देश दिये गये कि माह-दिसम्बर 2024 तक समस्त योजनाओं पर गृह संयोजन (FHTC) में जीआईओ पाइप लगाते हुये क्लोरीन युक्त नियमित जलापूर्ति की जाये व अवशेष गृह संयोजन (FHTC) में से 2500 नग अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करा लिया जाये। बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये, इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये व 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन की प्रगति संतोषजनक ना होने के कारण 0.50 प्रतिशत L.D. अध्यारोपित करने हेतु संस्तुति कर दी जाये। अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी पेयजल योजनाओं में विद्युतीकरण का कार्य लक्षित समय में अपनी देख-रेख में फर्म द्वारा पूर्ण कर लिया जाये।
(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

M/s Rithwik and Koya (JV)- (Phase-3) - Rithwik								
S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	180	19.09.2024	180	176	168	114	0.48.54
			14.10.2024	180	178	171	122	0.27.49
				0.25%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
2	OHT	174	19.09.2024	10	40	55	30	19
			14.10.2024	5	37	51	39	24
3	Pump House	180		0.50%			50-100%	
			19.09.2024	45			85	
			14.10.2024	48			91	
4	Pipe Line (Km.)	1892.40	19.09.2024	1506.00				386.40
			14.10.2024	1525				367.4
5	FHTC	100163	19.09.2024	64878				35285
			14.10.2024	65519				34644
6	Solar	156		Complete	WIP	Not Started		
			19.09.2024	55	62	39		
			14.10.2024	58	66	32		
7	DG	156		Complete			Balance	
			19.09.2024	35			121	
			14.10.2024	41			115	
8	Regular Water Supply	302	19.09.2024	29				273
			14.10.2024	39				263
9	Boundary wall	180	19.09.2024	Complete	WIP	Not Started		
				95	25	60		
			14.10.2024	106	19	55		

अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Project Name	I.W.				OHT					Pump House		Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DCI	Regular Water Supply	Boundary wall
	Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-100%	100%	0-50%	50-100%						
Project Name (PV) - Bafra		2	7	38	-	-	-	-	15	-	30	100% till monsoon december-24	4000	20	-	35	19

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष ड्रिलिंग पूर्ण 180 नग नलकूपों के कंप्रेसर, ओपीयू यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाये। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि अनारम्भ 18 नग शिरोपरि जलाशय भूमि विवाद व जल भराव के कारण अनारम्भ है, जिन्हे समस्या के निराकरण के उपरान्त तत्काल प्रारम्भ करा दिया जायेगा। कार्य अनारम्भ 41 नग पम्प हाउस को माह-नवम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ, 30 नग पम्प हाउस को पूर्ण कर लिया जायेगा व अवशेष वितरण प्रणाली को भी माह-दिसम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। उक्त के क्रम में निर्देश दिये गये कि यदि फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो नियमानुसार जुर्माना अध्यारोपित किया जाये।

फर्म के द्वारा की जा रही नियमित जलापूर्ति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 39 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है व अगली बैठक से पूर्व 35 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। जिसके क्रम में निर्देश दिये गये कि माह-दिसम्बर 2024 तक समस्त योजनाओं पर गृह संयोजन (FHTC) में जीआईड पाइप लगाते हुये क्लोरीन युक्त नियमित जलापूर्ति की जाये व अवशेष गृह संयोजन (FHTC) में से 4000 नग अगली बैठक से पूर्व पूर्ण करा लिया जाये। बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये व अगली बैठक से पूर्व 60 प्रतिशत ग्रामों में 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कर लिया जाये, इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये व 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन की प्रगति संतोषजनक ना होने के कारण 0.50 प्रतिशत L.D. अध्यारोपित करने हेतु संस्तुति कर दी जाये। अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी पेयजल योजनाओं में विद्युतीकरण का कार्य लक्षित समय में अपनी देख-रेख में फर्म द्वारा पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थिविक कोया (जेवी) - स्थिविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि/यो), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

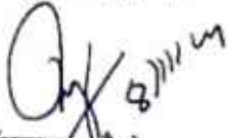
अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुये पाइप लाइन की क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा रही है व समयान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग का कार्य करा दिया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यवाही की जा रही है। निर्देश दिये गये कि अगली बैठक से पूर्व प्रत्येक विकास खण्ड से 10-10 ग्रामों के रोड रेस्टोरेशन का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराते हुये रिपोर्ट प्राप्त की जाये।

(कार्यवाही:-अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० टीपीए:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 5322 विन्दुओं की निस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण टीपीए द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 19.09.2024 को तीनों फर्मों के कार्यों में पायी गयी 10-10 क्रिटिकल कमियों की आपत्ति व उसका निस्तारण रिपोर्ट को अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे परन्तु टीपीए द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया गया। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी व पुनः निर्देश दिये गये कि उक्त का शतप्रतिशत अनुपालन करते हुये अगली बैठक में प्रपत्र उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे०एम०सी० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एस०(जेवी)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिये गये कि डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) को नोडल बनाकर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद का निस्तारण करावें।


(अनुराग जैन)

आई०ए०एस०

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 1927 / विवि-40 / 148 दिनांक: 11.11.2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता (वि०/याँ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
9. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
10. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

मुख्य विकास अधिकारी
महाराजगंज।